संख्या-34/2026/1868/22-2-2024-17(623)/2025

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 14 जनवरी, 2026*

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी शंकर सिंह पुत्र श्री प्यारे राजा, निवासी जनपद-ललितपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0) कारागार के पत्र संख्या-30216/प्रोबे0-5-दया0/बैठक-16.09.2024, दिनांक 07.10.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी शंकर सिंह पुत्र श्री प्यारे राजा, भरौदिया राइन, थाना-पाली, जनपद-ललितपुर का निवासी है। खेत में बुआई कराने के विवाद को लेकर दिनांक 11.10.2016 को 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी डण्डा, कुल्हाडी व गोली से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बंदी को सत्र परीक्षण संख्या-49, 48/2017 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 147, 148 व 27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,(द०प्र०क्षे०), ललितपुर के दण्डादेश दिनांक 01.12.2018 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में लम्बित है, बंदी द्वारा दिनांक 26.12.2023 तक अपरिहार 07 वर्ष 02 माह 13 दिन तथा 08 वर्ष 01 माह 05 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की 48 वर्ष 01 माह की आयु, बन्दी द्वारा आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 26.12.2023 तक अपरिहार 07 वर्ष 02 माह 13 दिन तथा सपरिहार 08 वर्ष 01 माह 05 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष समयपूर्व रिहाई होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने एवं पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ललितपुर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी शंकर सिंह (बन्दी संख्या-17588) पुत्र श्री प्यारे राजा, निवासी जनपद-ललितपुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-34/2026/1868(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in